दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 2 दिसंबर 2024

उद्घोषित: 17 फरवरी 2025

सि.वि.(मे.) 3951/2024 और सि.वि. आवे. 70109/2024 और सि.वि. आवे. 70110/2024
CM(M) 3951/2024 & CM APPL. 70109/2024 & CM APPL. 70110/2024

श्री जयपाल शर्मा ट्रस्ट और अन्य ......याचीगण

द्वारा: श्री करुणेश टंडन, श्री अभिषेक सिंह और श्री राहुल चौहान, अधिवक्तागण।

बनाम

एस.आर.एम. शैक्षिक और वित्तीय सलाहकार प्रा. लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अनिल के. मिश्रा, श्री नकुल ग्रोवर और श्री सत्यम शिवाच, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय श्री न्यायाधीश रेविंदर डुडेजा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. रविंदर डूडेजा</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका याचीगण द्वारा दायर की गई है जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा मुकदमा सं.

सी.एस.डी.जे. 1332/2018 शीर्षक “मेसर्स एस.आर.एम. एज्युकेशनल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट” में पारित दिनांक 07.11.2024 और 14.11.2024 के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। याचीगण ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और ठोस कानूनी त्रुटियों के संबंध में चिंताएं जताई हैं।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. प्रत्यर्थी ने याचीगण के खिलाफ रिकवरी के लिए मुकदमा दायर किया। मूल रूप से, इसे एक साधारण सिविल रिकवरी मुकदमा के रूप में दायर किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक आवेदन पर मुकदमे को एक वाणिज्यिक विवाद मानते हुए वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।

3. दोनों पक्षों को सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4 के तहत दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने का शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

4. विचारण न्यायालय ने नोट किया कि दोनों पक्षों के स्वीकार/अस्वीकार करने का शपथ-पत्र वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे और इसलिए उन्हें तीन सप्ताह के भीतर नया शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया था। अगली तारीख अर्थात् 07.11.2024 को याचीगण के अधिवक्ता विचारण न्यायालय में पेश नहीं हुए। विचारण न्यायालय

ने प्रत्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र दाखिल करने पर ध्यान दिया है। चूंकि याचीगण द्वारा कोई शपथ-पत्र दायर नहीं किया गया था इसलिए याचीगण के स्वीकार/अस्वीकार करने का शपथ-पत्र दायर करने का अधिकार समाप्त हो गया था।

5. दिन में आगे, याचीगण के अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुए और दिन के दौरान स्वीकार/अस्वीकार करने का शपथ-पत्र ई-फाइल करने का बीड़ा उठाया।

6. अगली तारीख यानी 14.11.2024 पर विचारण न्यायालय के आदेश में दर्ज किया गया है कि याचीगण ने दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने के शपथ-पत्र के दो सेट दायर किए थे, एक शिकायत के साथ दायर दस्तावेजों के संबंध में और दूसरा अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में जो 12.04.2022 पर रिकॉर्ड पर लिए गए थे। विचारण न्यायालय का विचार था कि याचीगण द्वारा दायर स्वीकार/अस्वीकार करने का शपथ-पत्र उचित प्रारूप में नहीं था और यह भी नोट किया कि कुछ दस्तावेजों के संबंध में निष्पादन के तरीके के कॉलम को खाली छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, ये कॉलम दं.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4 के प्रावधान के संदर्भ में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

7. याचीगण ने रिकॉर्ड पर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए दं.प्र.सं. के आदेश VII नियम 14 के तहत और अतिरिक्त मुद्दों को तैयार करने के लिए दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत अलग-अलग आवेदन

भी दायर किए थे। इन दोनों आवेदनों को विचारण न्यायालय ने 14.11.2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

<u>याचीगण के निवेदन</u>

8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:-

i) स्वीकार/अस्वीकार के शपथ-पत्र की अस्वीकृति पूरी तरह से अनुचित थी। याचीगण का कहना है कि भले ही शपथ-पत्र दं.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4 की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन नहीं करता था लेकिन त्रुटियों का निवारण किया जा सकता था और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों से वास्तविक न्याय में बाधा नहीं आनी चाहिए।

ii) शपथ-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से 07.11.2024 पर दाखिल किया गया था और हार्ड कॉपी 14.11.2024 पर जमा की गई थी। विचारण न्यायालय की यह टिप्पणी कि यह आवश्यक प्रारूप में नहीं था, इसके बहिष्कार को उचित नहीं ठहराती है क्योंकि त्रुटियों को ठीक किया जा सकता था।

iii) सख्त प्रक्रियात्मक अनुपालन पर विचारण न्यायाधीशालय की निर्भरता इस सिद्धांत की अवहेलना करती है कि प्रक्रियात्मक कानून का उद्देश्य एक बाधा के रूप में कार्य करने के बजाय न्याय को सुविधाजनक बनाना है।

iv) दं.प्र.सं. के आदेश VII नियम 14 के तहत आवेदन की अस्वीकृति गलत थी। याचीगण का कहना है कि जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने की मांग की गई थी, वे पहले से ही लिखित बयान में संदर्भित थे, लेकिन अनजाने में उन्हें हटा दिया गया था। दं.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 1-क (3) न्यायालयों को मामले के निर्णय के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी भी स्तर पर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

v) विचारण न्यायालय ने समझौता ज्ञापन दिनांकित 11.03.2014 के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों के साथ वादी के अनुपालन से संबंधित एक अतिरिक्त मुद्दा तैयार करने के लिए दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत आवेदन को खारिज करने में गलती की। याचीगण का तर्क है कि यह मुद्दा रिकवरी की पात्रता के संबंध में पहले से विरचित मुद्दे से अलग है।

vi) याचीगण का तर्क है कि अतिरिक्त मुद्दा विरचित न करने से उनके बचाव पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि संविदात्मक जिम्मेदारियों का पालन करना देनदारी और रिकवरी तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

<u>प्रत्यर्थी के निवेदन</u>

9. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका का विरोध किया है:-

i) विचारण न्यायालय स्वीकार/अस्वीकार के शपथ-पत्र को अस्वीकार करने में सही था क्योंकि वह दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 4 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा। शपथ-पत्र में दस्तावेजों के निष्पादन, अभिरक्षा और शुद्धता के बारे में विवरण का अभाव है।

ii) दं.प्र.सं. के आदेश VII नियम 14 के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था क्योंकि याचीगण के पास पहले चरण में दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के पर्याप्त अवसर थे। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 निर्णय में देरी को रोकने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करता है।

iii) दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत प्रस्तावित अतिरिक्त मुद्दा अनावश्यक था क्योंकि वसूली की पात्रता का मुख्य मुद्दा पहले से ही संविदात्मक दायित्वों का पालन न करने को शामिल करता है। प्रत्यर्थी के अनुसार, अतिरिक्त मुद्दा केवल विवाद निर्णय में पर्याप्त मूल्य जोड़े बिना मुकदमेबाजी को बढ़ाने का काम करेगा।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष: संद: स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथ-पत्र</u>

10. स्वीकृति/अस्वीकृति के शपथ-पत्र को स्वीकार करने का विचारण न्यायालय का आदेश अनुरक्षणीय है। प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ, विशेष रूप से जो ठीक की जा सकती हैं, उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ***ओ.एन.जी.सी. बनाम साई रामा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज और मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड***

इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एफएओ (ओएस) (सीओएमएम) 324/2019 दिनांक 09.01.2023 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, गुणागुण पर निर्णय लेने से इन्कार करने के लिए मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्थापित न्यायशास्त्र के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि ठोस अनुपालन तब तक पर्याप्त होना चाहिए जब तक कि कानूनी आदेशों का घोर उल्लंघन न हो। इसलिए याचीगण को त्रुटियों को संबोधित करते हुए एक संशोधित शपथ-पत्र जमा करने का एक अवसर दिया जाता है और फिर उसे रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

दं.प्र.सं. के आदेश VII नियम 14 के तहत अतिरिक्त दस्तावेजों को भरने के लिए आवेदन:

11. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभिलेख पर अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन याचीगण द्वारा दं.प्र.सं. के आदेश VII नियम 14 के तहत दायर किया गया था। हालाँकि, दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 को वाणिज्यिक मुकदमों पर लागू मानते हुए जिनके द्वारा दं.प्र.सं. को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमों के संबंध में संशोधित किया गया है और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 16 को देखते हुए दं.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष वादों के संबंध में आदेश 11 नियम 1 के संशोधन के बाद और वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमों के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान/प्रक्रिया

निर्धारित की गई है, दं.प्र.सं. के प्रावधान जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और इसका पालन करना होगा। इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष मुकदमों के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन द्वारा संशोधित दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 को देखते हुए दं.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 14 का प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। इसलिए, याचीगण ने अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए गलत प्रावधान लागू किया। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर किए गए मुकदमों पर लागू माना और यहां तक कि लागू किया, न्यायालय याचीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया था।

12. ***अनीता छाबड़ा और अन्य बनाम सुरेंद्र कुमारअन्य 26.09.2022 अन्य सि.वि.(मे.) 548/2022 और सि.वि. 26752/2022*** के मामले में न्या. सी. हरिशंकर द्वारा इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

> "8. बार में दिए गये प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर आगे बढ़ने से पहले, दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 के उप नियम (1), (4) और (5) में निहित वैधानिक योजना का उल्लेख किया जा सकता है, जो दस्तावेज़ दाखिल करने से संबंधित है। आदेश XI नियम 1(1) एक वादी से "शिकायत के साथ, अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी

दस्तावेजों की एक सूची और उनकी फोटोकॉपी दायर करने की आवश्यकता है। इसलिए, दस्तावेजों को शिकायत के साथ लाना आवश्यक है।

9. “तत्काल दाखिल करने” के मामले में, आदेश XI नियम 1 (4) वादी द्वारा मुकदमा दायर करने के 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने की अनुमति देता है बशर्ते कि न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाए।

10. दस्तावेज़, जो आदेश 11 नियम 1 के उप नियम (1) या उप नियम (4) के तहत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं, यानी वे दस्तावेज़ जो मुकदमा दायर करने के 30 दिनों की समाप्ति तक रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं, आदेश 11 नियम 1 (5) के तहत न्यायालय की अनुमति के अधीन रिकॉर्ड पर लाए जा सकते हैं। हालाँकि, इस तरह की अनुमति केवल अभियोक्ता द्वारा शिकायत के साथ दस्तावेजों का खुलासा न करने के लिए उचित कारण स्थापित करने पर ही दी जा सकती है।

11. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यद्यपि आदेश XI नियम 1 (4) में शिकायत दायर करने के 30 दिनों के भीतर शिकायत के साथ दायर नहीं किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की भी परिकल्पना की गई है और इस संबंध में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है लेकिन इस तरह की अनुमति मांगने वाले वादी को विशेष रूप से शिकायत के साथ दस्तावेजों के गैर-प्रकटीकरण के लिए उचित कारण स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जो वादी के मामले में आदेश XI नियम 1 (5) तक सीमित है, उन दस्तावेजों के संबंध में जिन्हें शिकायत दायर करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय के बाद रिकॉर्ड पर लाने की मांग की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय का 10 जनवरी 2022 का आदेश: सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान स्वप्रेरणा रिट याचिका (सि.) 3/2020 और सेंटॉर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टैनफोर्ड लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय में बाबासाहेब रावसाहब कोबामे बनाम पैरोटेक

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 7 और प्रकाश कॉर्पोरेट्स बनाम डी.वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

17. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है दं.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 1 (5) में याचीगण को शिकायत के साथ अतिरिक्त दस्तावेजों का खुलासा करने में विफलता के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ताकि शिकायत दायर करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के बाद दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जा सके। वर्तमान मामले में याचीगण द्वारा दायर आवेदन में ऐसा कोई खुलासा नहीं है कि याचिकाकर्ता जिन दो दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाना चाहते थे, उन्हें शिकायत के साथ क्यों नहीं दायर किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि जब शिकायत दायर की गई थी तब भी दस्तावेज याचीगण के कब्जे, शक्ति और अभिरक्षा में थे। आवेदन में केवल इतना कहा गया है कि शिकायत दायर करने वाले विद्वान अधिवक्ता की लापरवाही के कारण दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। स्पष्ट रूप से, आदेश XI नियम 1 (5) के अर्थ के भीतर अधिवक्ता की लापरवाही उचित कारण नहीं हो सकती है; अन्यथा, शिकायत के साथ दस्तावेजों का खुलासा करने में विफलता के लिए उचित कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को औपचारिकता तक ही सीमित कर दिया जाएगा।

19. यदि, इसलिए, आदेश 11 नियम 1(5) लागू होना था तो याचीगण के पास स्पष्ट रूप से कोई मामला नहीं है।"

13. दं.प्र.सं. के आदेश VII नियम 14 (आदेश XI नियम 1 के तहत माना जाता है) के तहत याचीगण द्वारा दायर आवेदन के प्रासंगिक अनुच्छेदों को उचित समझ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी/गैर-आवेदक द्वारा रिकवरी का मुकदमा दायर करने के बाद माननीय न्यायालय ने आवेदक/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी/आवेदक उपस्थित हुआ और संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना लिखित बयान प्रस्तुत

किया और मुकदमे को चलाने की क्षमता के संबंध में अपनी प्रारंभिक आपत्ति में कुछ आपत्तियां उठाई, अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने और उन पर कार्य करने में वादी की विफलता ने भी वादी द्वारा तथ्यों को छिपाने के संबंध में एक विशिष्ट आपत्ति जताई कि वादी/गैर-आवेदक ने इस तथ्य को महसूस करने के बाद अगस्त-सितंबर 2015 में काम छोड़ दिया कि तकनीकी और वास्तुशिल्प परामर्श प्रदान करने में उसका अस्तित्व अब संभव नहीं होगा क्योंकि वादी/गैर-आवेदक द्वारा प्रतिवादी/आवेदक को प्रस्तुत किए गए अधिकांश चित्र न केवल दोषपूर्ण प्रकृति के थे बल्कि संबंधित क्षेत्र में लागू भवन उप कानूनों के अनुकूल तैयार नहीं किए गए थे। यह भी कहा गया था कि दोषपूर्ण वास्तुकला चित्र और गलत वास्तुकला परामर्श के कारण दोषपूर्ण कार्य प्रतिवादी/आवेदक द्वारा किया गया था जो अंततः नव नियुक्त ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई परामर्श के कारण ध्वस्त हो गया।

4. यह कहा और प्रस्तुत किया जाता है कि गैर-आवेदक/वादी ने आवेदक/वादी को लिखित बयान में अपनी प्रतिकृति दाखिल करने के बाद फिर से रिकॉर्ड पर अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान के साथ दायर किए गए थे लेकिन जांच के बाद यह पता चला कि कुछ दस्तावेज/चित्र जो वादी/गैर-आवेदक द्वारा काम छोड़ने के बाद आवेदक/प्रतिवादी द्वारा किराए पर ली गई वास्तुकला और परामर्श सेवाओं द्वारा तैयार किए गए थे, उन्हें रिकॉर्ड पर रखना आवश्यक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये रेखाचित्र सही और सटीक वास्तुशिल्प रेखाचित्र प्रदान करने में वादी/गैर-आवेदक की विफलता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक और जरुरी हैं और सही रेखाचित्र वादी/गैर-आवेदक द्वारा नहीं बल्कि आवेदक/प्रतिवादी द्वारा नियुक्त अन्य वास्तुकला सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा तैयार किए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ये चित्र/दस्तावेज विवाद का एक महत्वपूर्ण और बुनियादी हिस्सा हैं और वर्तमान मुकदमे के न्यायसंगत और उचित होने के हेतु इसे रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है।

> 5. यह कहा गया है कि यदि इन दस्तावेजों/चित्रों को रिकॉर्ड में लिया जाता है तो वादी/गैर-आवेदक के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। जबकि, यदि इन दस्तावेजों/चित्रों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है तो यह आवेदक/प्रतिवादी के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।"

14. लिखित बयान के समर्थन में याचीगण द्वारा दायर सच्चाई के बयान में विशेष रूप से कहा गया है कि इसकी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण और अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों का खुलासा किया गया है और लिखित बयान के साथ उनकी प्रतियां दायर की गई हैं। विचारण न्यायालय ने नोट किया कि याचीगण द्वारा 19.01.2019 पर लिखित बयान दायर किया गया था और उन्होंने उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की जो पहले से ही पांच साल से अधिक समय के बाद उनकी अभिरक्षा, शक्ति और कब्जे में थे। विचारण न्यायालय ने उचित स्तर पर दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए कोई कारण या न्यूनतम पर्याप्त कारण नहीं पाया।

15. विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2022 के माध्यम से दस्तावेजों के स्वीकार/अस्वीकार के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति दी। याचीगण ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी। केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी के आवेदन की अनुमति दी गई थी, याचिकाकर्ता समानता की मांग नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से इस कारण से कि वे प्रारंभिक चरण में दस्तावेज़ दाखिल नहीं करने के लिए किसी भी पर्याप्त कारण को समझाने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश को इस हद तक चुनौती दी जा सकती है कि दं.प्र.सं. के

आदेश VII नियम 14 के तहत दायर याचीगण के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

<u>दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत अतिरिक्त मुद्दों को विरचित करने के लिए आवेदन</u>

16. दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत आवेदन के आधार पर याचीगण ने निम्नलिखित अतिरिक्त मुद्दे को तैयार करने के लिए प्रार्थना की:-

"क्या अभियोक्ता ने कार्य किया और दिनांक 11.03.2014 की महत्वपूर्ण परियोजना/समझौता ज्ञापन के तहत किए जाने वाले अपने सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा किया?"

17. विचारण न्यायालय का मानना था कि यह मुद्दा पहले से ही विरचित किया जा चुका है अर्थात् "*क्या अभियोक्ता मुकदमे की रिकवरी राशि का हकदार है?" साबित करने का भार वादी पर है"* प्रस्तावित मुद्दे को शामिल करेगा और इसलिए इसके लिए एक अलग मुद्दा तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

18. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार याचिकाकर्ता एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना चाहते थे जिसके लिए उसने अपने दिल्ली कार्यालय में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी से संपर्क किया था। पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन दिनांकित 11.03.2014 में प्रवेश किया। समझौता ज्ञापन की

शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी को आद्योपांत आधार पर सभी तकनीकी और पेशेवर सहायता प्रदान करनी थी।

19. अपने लिखित बयान में याचीगण का बचाव यह है कि प्रत्यर्थी ने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं किया और काम को छोड़ दिया।

20. पक्षकारों की दलीलों की पृष्ठभूमि में, रिकवरी की पात्रता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या प्रत्यर्थी ने अपने संविदात्मक कर्तव्यों को पूरा किया है। इसलिए विचारण न्यायालय याचीगण के तर्क में योग्यता पाता है कि अतिरिक्त मुद्दा मौजूदा मुद्दे के भीतर शामिल नहीं किया गया है। वाद राशि की रिकवरी के अधिकार के मुद्दे पर निर्णय प्रस्तावित मुद्दे के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रस्तावित मुद्दा मामले के न्यायसंगत निर्धारण के लिए आवश्यक है। इसलिए याचीगण द्वारा दायर दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत आवेदन की अनुमति दी जाती है और विचारण न्यायालय को प्रस्तावित अतिरिक्त मुद्दे को विरचित करने का निर्देश दिया जाता है।

निष्कर्ष

21. पूर्ववर्ती विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश 07.11.2024 दिनांकित को अपास्त कर दिया गया है जबकि आदेश दिनांकित 14.11.2024 को आंशिक रूप से अलग कर दिया गया है। तदनुसार, यह न्यायालय निम्नलिखित निर्देश देता है:-

क) याचीगण को स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथ-पत्र दाखिल करने का एक अवसर दिया जाए।

ख) याचीगण द्वारा दायर दं.प्र.सं. के आदेश XIV नियम 5 के तहत आवेदन में प्रस्तावित निम्नलिखित मुद्दे को तैयार किया जाए:-

"क्या अभियोक्ता ने समझौता ज्ञापन दिनांकित 11.03.2014 से उत्पन्न अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन किया है?" साबित करने का भार वादी पर है।

22. याचिका की उपरोक्त शर्तों में अनुमति है। विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

23. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

न्या. रविंदर डुडेजा

17 फरवरी, 2025

आरएम/आर/आई/एन

<u>(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)</u>

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*